



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/ फाल्गुन 15, 1940

No. 161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

सा.का.नि. 181(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पशु चिकित्सा संवर्ग समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मैनुअल वाल्यूम III चिकित्सा मैनुअल में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में हैं, इन नियमों के उपाबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के साथ प्रतिनियुक्ति तथा पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।

7. अन्यदेशीय की अपात्रता.— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.—(क) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु कोई कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

(ख) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक ट्रेसर (पशु चिकित्सा)	03* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900—142400 रु.)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(6)
लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति द्वारा :
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 के उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निरीक्षक ड्रेसर (पशु चिकित्सा)	68* (2019) * कार्यभार के आधार पर	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित	स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद।

	परिवर्तन किया जा सकता है।	(अननुसचिवीय)		
--	---------------------------	--------------	--	--

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति न हो तो प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 30 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (ड्रेसर पशु चिकित्सा) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) स्तर 4 के उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी।</p> <p>क) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों।</p> <p>ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों अर्थात्—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा पशुधन सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और (2) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशेष रूप से कुत्ते और घोड़े के उपचार में किसी भी केन्द्र सरकार या राज्य पशु अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल या औषधालय चलाने व प्रबंधन में सक्षम हो <p>टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति,(प्रोन्नति और पुष्टिकरण के लिए विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; (2) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; (3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीकी पशु चिकित्सा)	02* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (35400-112400 रु०)	लागू नहीं।

(6)
20 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक षिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले में पांगी उपखण्ड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र व अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)
आवश्यक :- 1. विज्ञान में स्नातक के साथ एक वर्ष पशु चिकित्सा तकनीषियन के रूप में अनुभव अथवा 2. चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीषियन के रूप में डिप्लोमा तथा पशु चिकित्सा तकनीषियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- 1. प्रयोगशाला कार्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली पद्धति और सामग्री का ज्ञान। 2. कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान।

शारीरिक मानक/चिकित्सीय मानक**1. शारीरिक मानक :-****पुरुषों के लिए :**

ऊँचाई : 170 सेमी.

शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम— 162.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 160 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 162.5 सेंटीमीटर

छाती :

के	सामान्य	ऐसे पुरुष जो पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों के आदिवासी
(बिना फुलाये)	80 सेंटीमीटर	80 सेंटीमीटर	76 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	85 सेंटीमीटर	85 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए

(बिना फुलाये) 77 सेंटीमीटर

(फुलाने पर) 82 सेंटीमीटर

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊँचाई के अनुपात में

महिलाओं के लिए

ऊँचाई : 157 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 155 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 152.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा चरमपंथ प्रभावित राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 147.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 150 सेंटीमीटर

छाती: लागू नहीं।

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊँचाई के अनुपात में

टिप्पण: महानिदेशक, भा.ति.सी.पु.बल, अभिलिखित कारण स्पष्ट करते हुए, असाधारण योग्यता के मामलों में शारीरिक कारणों से विशेष व्यवस्था के रूप में छूट प्रदान कर सकेंगे।

चिकित्सा मानदण्ड

क) दृष्टि— चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से फिट होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूर दृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात् बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टैक लेंस व चश्मे के बिना।)

ख) अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक-नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें या भेंगी आंखो वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

3) शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)**प्रतिनियुक्ति द्वारा**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी—

- अ) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है: अथवा इसके समतुल्य तथा
- ब) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: अर्थात्—
(i) विज्ञान में स्नातक के साथ पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में एक वर्ष का अनुभव या चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीक में डिप्लोमा
(ii) पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव और प्रयोगशाला पशु तकनीशियन कार्यक्रम किया हुआ हो।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, (स्थायीकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हैड कांस्टेबल (ड्रेसर पशु चिकित्सा)	82* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500—81100 रु.)	लागू नहीं।

(6)
18 से 25 वर्ष तक। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समतुल्य (2) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा, चिकित्साशास्त्र पशुधन प्रबंध से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का नियमित पैरा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	अन्य संवर्गों के विभागीय उम्मीदवारों को आमेलन द्वारा कॉलम (11) में दी गई योग्यता अनुसार जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
आमेलन द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700—69100) में ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने:- 1) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित बेसिक कंडेंस कोर्स पूरा किया हो: और (2) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा, चिकित्साशास्त्र पशुधन प्रबंध से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का नियमित पैरा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम या डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(12)	(13)
समूह 'स' विभागीय स्थायीकरण समिति, (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; (2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; (3) वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हैड कांस्टेबल (रेडियोग्राफर पशु चिकित्सा)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'स', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं।

(6)
18 से 25 वर्ष तक । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समतुल्य (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा रेडियोग्राफी में डिप्लोमा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। वांछनीय: कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान शारीरिक/चिकित्सीय मानदंड (1) शारीरिक मानदंड पुरुषों के लिए ऊँचाई 170 सेंटीमीटर शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम - 165 सेंटीमीटर पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम - 162.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई - 160 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई - 162.5 सेंटीमीटर

छाती :

सामान्य	ऐसे पुरुष जो पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं	सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के आदिवासी	
(बिना फुलाये)	80 सेंटीमीटर	78 सेंटीमीटर	76 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	85 सेंटीमीटर	83 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए

(बिना फुलाये)	77 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	82 सेंटीमीटर

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में महिलाओं के लिए

ऊँचाई	157 सेंटीमीटर
-------	---------------

शिथिलिकरण: गढ़वाली, कुमाऊंकी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम - 155 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम - 152.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई - 147.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न जिलों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई - 150 सेंटीमीटर

छाती : लागू नहीं।

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में

नोट: महानिदेशक, भा.ति.सी.पु.बल, लिखित रूप में कारण स्पष्ट करते हुए, असाधारण योग्यता के मामलों में शारीरिक कारणों से विशेष व्यवस्था के रूप में छूट प्रदान कर सकते हैं।

चिकित्सा मानदण्ड

क) दृष्टि— चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से ठीक होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूरदृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात् बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टैक लेंस व चश्म के बिना।)

ख) अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक-नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें यां भेंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

3) शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(8)	(9)
लागू नहीं।	दो वर्ष।
(11)	
<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण— प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी</p> <p>(अ) रेडियोग्राफ में तीन वर्ष का अनुभव : और</p> <p>(ब) मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र</p> <p>टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>	

(11)
लागू नहीं

(12)				(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति, (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-				लागू नहीं।
	(1) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल			— अध्यक्ष;
	(2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल			— सदस्य;
	(3) वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल			— सदस्य।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. कांस्टेबल (केनलमैन)	04* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं

(6)
<p>18 से 23 वर्ष तक ।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,</p>

मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समतुल्य

शारीरिक/चिकित्सीय मानदंड**(1) शारीरिक मानदंड****पुरुषों के लिए**

ऊँचाई 170 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 162.5 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 160 सेंटीमीटर

अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए न्यूनतम लंबाई – 162.5 सेंटीमीटर

छाती :

सामान्य ऐसे पुरुष जो पूर्वोत्तर राज्यों से सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आदिवासी
भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं

(बिना फुलाये) 80 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर

(फुलाने पर) 85 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर

पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए

(बिना फुलाये) 77 सेंटीमीटर

(फुलाने पर) 82 सेंटीमीटर

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में

चिकित्सा मानदण्ड

क) दृष्टि— चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से फिट होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूर दृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात् बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टैक लेंस व चश्मे के बिना।)

ख) अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक-नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें या भेंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

3) शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(8)

लागू नहीं

(9)

दो वर्ष

(10)
<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण- प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता हो।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी</p> <p>(अ) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या</p> <p>(ब) जो अनुसूची के स्तंभ (7) के अनुसार अर्हता रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु। सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)
लागू नहीं।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति, (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), अथवा कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष;</p> <p>(2) वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;</p> <p>(3) सहायक पशु चिकित्सक सर्जन या सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।</p>	लागू नहीं।

[फा. सं. I -12013/01/2016 संगठन]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2019

G.S.R.181(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and 'C' posts in the Veterinary Cadre in Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness. — Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules:

7. Ineligibility of non-citizens of India. — No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation. — (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Pay level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Dresser Veterinary)	03* (2019) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs.44900-142400)	Selection post.

Age limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>By Promotion:</p> <p>From amongst Sub-Inspector (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Veterinary Officer(Selection Grade) or - Member. Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub- Inspector (Dresser Veterinary)	68* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 6 (Rs.35400-112400)	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) 70 percent Promotion failing which deputation. (ii) 30 percent Deputation for ex-servicemen Deputation/ re-employment.

(11)

By Promotion:

From amongst the Head Constable (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre promotional training or course.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories:

- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following qualifications and experience namely:-
 - (i) pass in Veterinary Stock Assistant Course from a recognised institute; and
 - (ii) three years field experience in treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central or State Veterinary Hospital and able to manage or run Veterinary Hospital or dispensary.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

For ex-servicemen deputation/re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Sub-Inspector (Lab Technician Veterinary)	02* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 6 (Rs. 35400–112400)	Not applicable

(6)
<p>Between 20 and 25 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor of Science with one year experience as Veterinary Technician. OR</p> <p>(ii) Diploma in Medical Lab Technology along and two years experience as Veterinary Technician.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge regarding the methods and materials used in laboratory work.</p> <p>(ii) Basic knowledge of computers.</p> <p>Physical Standards/Medical Standards</p> <p>(1) Physical Standards:-</p> <p>For male:</p> <p>Height : 170 centimeters</p> <p>Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging To the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. } : 165 centimeters</p> <p>Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. } : 162.5 centimeters</p> <p>All candidates belonging to Schedule Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts. } : 160 centimeters</p> <p>All candidates belonging to Scheduled Tribes other than North-Eastern States and Left Wing Extremism Extremism Affected Districts. } :162.5 centimeters</p>

Chest :			
	General	Men belonging to hill areas other than NE States	Tribals of all States/Uts
	(Unexpanded)	80 centimeters	80 centimeters
	(Expanded)	85 centimeters	85 centimeters
			76 centimeters
			81 centimeters
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura			
	(Unexpanded)	77 centimeters	
	(Expanded)	82 centimeters	
Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.			
For Female:			
Height : 157 centimeters			
Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.			: } 155 centimeters
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.			: } 152.5 centimeters
All candidates belonging to Schedule Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.			: } 147.5 centimeters
All candidates belonging to Scheduled Tribes other than North-Eastern States and Left Wing Extremism Affected Districts.			: } 150 centimeters
Chest: Not applicable.			
Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.			
Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police Force may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.			
(2) Medical Standards :			
(a) Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without wearing of glasses.			
(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.			
(3) Must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.			

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By deputation/re-employment, For ex-serviceman Deputation /re-employment failing which by direct recruitment.

(11)
<p>By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) with six years regular service in Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) Bachelor of Science with one year experience as Veterinary Technician OR Diploma in Medical Lab Technology.</p> <p style="padding-left: 40px;">(iii) Two years experience as Veterinary Technician and have undergone laboratory animal technician programme.</p> <p>Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - two years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>For ex-servicemen deputation/re-employment :</p> <p style="padding-left: 40px;">The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Chief Veterinary Officer(Selection Grade) or - Member.</p> <p style="padding-left: 40px;">Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (Dresser Veterinary)	82* (2019) *(Subject to variation)	General Central Service Group 'C'	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable.

	dependent on workload).	Non-Gazetted, (Non-Ministerial).		
--	-------------------------	----------------------------------	--	--

(6)
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note. — The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class or equivalent qualification from a recognised board. (ii) Have passed regular Para Veterinary Course or Diploma or Certificate of minimum one year duration related to Veterinary. Therapeutic or Livestock Management from a Government recognised institute.	Not applicable.	Two years.	By absorption of departmental candidates from other cadres having qualification as mentioned in column (11) failing which by direct recruitment.

(11)
By absorption : From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force in level 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years of regular service in the grade and who have undergone:- (i) basic Condensed Course organised by Indo-Tibetan Border Police Force; and (ii) have passed regular Para Veterinary Course or Diploma or Certificate of minimum one year duration related to Veterinary. Therapeutic or Livestock Management from a Government recognised institute.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member; Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

(3) Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member .	
----------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Head Constable (Veterinary Radiographer)	01* (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable.

(6)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
Note. — The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)
<p>Essential :</p> <p>(i) 12th class or equivalent from a recognised Board.</p> <p>(ii) Diploma certificate programs in Veterinary Radiography from a recognised institution.</p> <p>Desirable : Basic knowledge of Computer.</p> <p>Physical Standards/Medical Standards</p> <p>(1) Physical Standards:-</p> <p>For male:</p> <p>Height : 170 centimeters</p> <p>Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. } : 165 centimetres</p> <p>Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. } : 162.5 centimetres</p> <p>All candidates belonging to Schedule Tribes hailing from the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts. } : 160 centimetres</p> <p>All candidates belonging to Scheduled Tribes other than North-Eastern States and Left Wing Extremism Affected Districts. } : 162.5 centimetres</p>

Chest :			
	General	Men belonging to hill areas other than NE States	Tribals of all States/Uts
(Unexpanded)	80 centimeters	78 centimeters	76 centimeters
(Expanded)	85 centimeters	83 centimeters	81 centimeters
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura			
(Unexpanded)	77 centimeters		
(Expanded)	82 centimeters		
Weight : Proportionate to height and age as per medical standards			
For Female:			
Height : 157 centimeters			
Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.		}	155 centimeters
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.		}	: 152.5 centimeters
All candidates belonging to Schedule Tribes hailing From the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.		}	: 147.5 centimeters
All candidates belonging to Scheduled Tribes other than North-Eastern States and Left Wing Extremism Affected Districts.		}	: 150 centimeters
Chest: Not applicable			
Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.			
Note.— The Director General, Indo-Tibetan Border Police Force may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.			
(2) Medical Standards :			
(a) Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without wearing of glasses.			
(b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.			
(3) Must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.			

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

(10)
<p>By direct recruitment.</p> <p>Note.— Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p style="text-align: center;">Officers of Central Government or State Government or Union territory Government,-</p> <p>(i) with three years experience of radiograph; and</p> <p>(ii) have certificate radiographer course from a recognised Institute.</p> <p>Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>

<p>Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen deputation/re-employment :</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release form the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member;</p> <p style="padding-left: 40px;">Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force</p> <p>(3) Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Constable (Kennelman).	04* (2019) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (Rs. 21700 - 69100).	Not applicable.

(6)
<p>18 to 23 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p>

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)

Essential:

Matriculation or equivalent from a recognized Board.

Physical Standards/Medical Standards**(1) Physical Standards:-****For male:****Height :** 170 centimeters

Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir } : 165 centimeters

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. } : 162.5 centimetres

All candidates belonging to Schedule Tribes hailing from the North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts. } : 160 centimetres

All candidates belonging to Scheduled Tribes other than North-Eastern States and Left Wing Extremism Affected Districts. } : 162.5 centimetres

Chest :

	General	Men belonging to hill areas other than NE States	Tribals of all States/Uts
(Unexpanded)	80 centimeters	78 centimeters	76 centimeters
(Expanded)	85 centimeters	83 centimeters	81 centimeters

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura

(Unexpanded) 77 centimeters
(Expanded) 82 centimeters

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards

(2) Medical Standards :

- (a) Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without wearing of glasses.
- (b) Candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (3) Must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

(10)
<p>By direct recruitment.</p> <p>Note.— Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Officers of Central Government or State Government or Union territory Government:</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing qualification as prescribed in column (7) of the Schedule.</p> <p>Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p>

(11)
Not applicable

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Chief Medical Officer (Selection grade) or Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Veterinary Assistant Surgeon or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I.12013/01/2016-Org]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.